भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2000/टी जी-I/20/एन/14 नई दिल्ली, दिनांक :

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2003 का वाणिज्य परिपत्र सं. 13)

विषय : भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लि. को ब्लाक बुकिंग करने की अनुमति प्रदान करना.

बोर्ड के 30.10.2001 के पत्र सं. 2001/टी जी-I/20/पी/आई आर सी टी सी/पार्ट-I (2001 का वाणिज्य परिपत्र सं. 70) के द्वारा क्षेत्रीय रेलों को यह अनुदेश जारी किए गए थे कि भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम को ब्लाक बुकिंग करने की अनुमति दे दी जाए यदि आई आर सी टी सी के जी जी एम और उससे ऊपर के रेंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है जो इन शर्तों के अध्यधीन है कि एक समय में किसी गाड़ी में 50 शायिकाओं से ज्यादा नहीं अथवा उस श्रेणी में उपलब्ध स्थान के 25% तक, जो भी कम हो, के लिए अनुमति मांगी जाती है और यह स्थान वेल्यू एडेड टूर पैकेज के लिए बुक किया जा रहा है और नाम, आयु, लिंग आदि जैसे ब्योरे अग्रिम में प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

आई आर सी टी सी के अनुरोध पर इस कार्यालय में इस मामले पर विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि केवल राज्य पर्यटन विकास निगमों द्वारा प्रायोजित वेल्यू एडेड टूर पैकेजों के लिए बोर्ड के 30.10.2001 के पत्र सं. 2001/टी जी-I/20/पी/आई आर सी टी सी/पार्ट-I (2001 का वाणिज्य परिपत्र सं.70) के अनुसार, आई आर सी टी सी द्वारा की जाने वाली ग्रुप बुकिंग के समय व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करने की शर्त को एक प्रयोग के आधार पर तीन माह की अवधि अथवा सॉफ्टवेयर में आशोधन किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए आई आर सी टी सी को छूट दी जाए. आई आर सी टी सी द्वारा गाड़ी छूटने के कम से कम 72 घंटे पहले नाम प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा ये शायिकायें आम जनता को जारी कर दी जाएगी. यह सुविधा उन वेल्यू एडेड टूर पैकेजों के लिए उपलब्ध होगी, जिनकी यात्राएं 1.4.2003 से शुरू हो रही है और 30.6.2003 को समाप्त हो रही है. सर्व-संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाए और इस पत्र की पावती दें.

आर.पी. ठाकुर
(आर.पी. ठाकुर)
संयुक्त निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

निदेशक (टी एंड एम), भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लि., नौवी मंजिल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को उनके 21.1.03 के पत्र सं. डारेक्टर (टी एंड एम)/आई आर सी टी सी/2002/पॉलिसी के संदर्भ में प्रतिलिपि प्रेषित

RAM-02

GOVERNMENT OF INDIA(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS(RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)
*****

No.2000/TG-I/20/N/14 New Delhi, dated 25.2.2003.

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 13 of 2003)

Sub: Granting of permission for Block Booking to Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd.(IRCTC).

Instructions were issued to Zonal Railways vide Board's letter No. 2001/TG-I/20/P/IRCTC/Pt.I dated 30.10.2001 (Commercial Circular No. 70 of 2001) to permit block booking to IRCTC, if it is recommended by the authorised officer of IRCTC of the rank of GGM and above subject to the conditions that permission is asked for not more than 50 berths in a train at a time or 25% of the accommodation of the class available, whichever is less, the accommodation is being booked for Value Added tour package and the details such as name, age, sex etc are being furnished in advance.

The matter has been considered in this office on request of IRCTC and it has been decided that the condition of furnishing the name of the persons at the time of group booking to be done by IRCTC as per Board's letter No. No. 2001/TG-I/20/P/IRCTC/Pt.I dated 30.10.2001 (Commercial Circular No. 70 of 2001) for **Value Added Tour packages sponsored by State Tourism Development Corporations only may be relaxed for IRCTC for a period of three months** or modification in software which ever is earlier, on a trial basis. The name will be furnished by IRCTC at least 72 hours in advance failing which the berths shall be released to general public. This facility will be available for the value added tour packages for which journey commences on 1.4.2003 till the package whose journey ends on 30.6.2003. Necessary instructions may be issued to all concerned and receipt of this letter may be acknowledged.

R.P. Thakur
(R.P. Thakur)
Joint Director, Passenger Marketing
Railway Board.

Copy to:

Director(T & M), Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd., 9th Floor, Bank of Baroda Building, 16, Parliament Street, New Delhi-11001 with reference to their letter No. Dir.(T&M)/IRCTC/2002/Policy dated 21.01.2003.

....